न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या :– 140 / 2019 निर्णय दिनांक 02.07.2019

उनवान

1. कैलाश पुत्र स्व0 बद्रीनारायण
2. मुकेश पुत्र स्व0 बद्रीनारायण
3. राकेश पुत्र जयराम

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सदारामपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

——प्रार्थी

बनाम

1. बोदीलाल पुत्र भोलूर जाति जाट निवासी रामपुरा रोड नन्दा सरपंच की ढाणी हाज्यावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।
2. रामनारायण पुत्र चंदा
3. औंकार पुत्र कल्याण
4. लादू पुत्र बिरदीचंद
5. रामजीवण पुत्र बिरदीचंद
6. बन्शी पुत्र बिरधीचंद
7. श्योजी पुत्र बिरधीचंद
8. रामगोपाल पुत्र बिरधीचंद
9. धन्ना पुत्र बिरधीचंद
10. भंवरलाल पुत्र गोपीराम
11. शंकर पुत्र गोपीराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:39:13 IST
Reason: SelfAttested

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सदारामपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी करवाने

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

प्रार्थी ग्रम सदारामपुरा तहसील चाकसू के खातेदार काश्तकार है जिसके आराजी खाता संख्या 21 के खसरा नम्बर 123/537, 182, 241, 258, 259, 260, 293, 307, 308, 340, 341, 357, 380/524, 421, 429, 470, 471, कुल किता 17 जो वाके ग्राम सदारामपुरा तहसील चाकसू मे स्थित है। जिसका वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद करवाने हेतु प्रार्थी ने निवेदन किया है प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी की गयी। जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर वकील प्रार्थी को सुना गया तो प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए बताया कि भूमि का सीमाज्ञान कराया जा चुका है। प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी पुलिस इमदाद से कराने हेतु दौराने बहस जाहिर किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर गौर किया व प्रार्थना पत्र एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया गया तो प्रार्थिया की भूमि पत्थर गढी करवाया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खाता संख्या 21 के खसरा नम्बर 123/537, 182, 241, 258, 259, 260, 293, 307, 308, 340, 341, 357, 380/524, 421, 429, 470, 471, कुल किता 17 जो वाके ग्राम सदारामपुरा तहसील चाकसू की पत्थरगढी प्रार्थी व अप्रार्थीगण व पडोसी खातेदारों की उपस्थिति में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो व फसल कटने के बाद पत्थरबढी की जावे व साथ ही उक्त आदेश पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
(एस0डी0एम0) चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:39:13 IST
Reason: SelfAttested